

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 820]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019 — अग्रहायण 8, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा.-188/पंचाविवि/22-1/2019/30.- छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक/पंचा./04/73/2012/54 दिनांक 09.02.2012 द्वारा “छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण” का गठन किया गया है एवं अधिसूचना क्रमांक/पंचाविवि./22/04/73/2012/248 दिनांक 09.04.2012 के द्वारा निधि नियम प्रावधानित है। राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के निधि नियम-2012 के कंडिका- 04 के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य में निम्नलिखित कार्य अन्तःस्थापित करती है : -

1. **स्वास्थ्य सेवाएँ** - पोषण (व्यक्तिगत एवं सामुदायिक), एम्बुलेंस क्य, दवाईयों का क्य, एम्बुलेंस के परिचालन एवं रख-रखाव का कार्य, अस्पताल में रखे उपयोगी उपकरण/मशीनों का रख-रखाव, स्वास्थ्य भवन मरम्मत/रख-रखाव, अस्पताल हेतु फर्नीचर क्य, फर्नीचर मरम्मत, अस्पताल की सफाई व्यवस्था।
2. **शिक्षा** - अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शाला भवनों का रख-रखाव, फर्नीचर एवं अन्य उपकरणों का क्य/रख-रखाव/लैब उपकरणों का क्य, खेल सामग्री का क्य, पुस्तक क्य, छात्रावासों/आश्रमों का रख-रखाव/समस्त आवश्यक सामग्रियों का क्य, कम्प्यूटर क्य एवं रख-रखाव, ई-लर्निंग हेतु व्यवस्था/विशेषज्ञ शिक्षकों के संविदा वेतन का भूगतान।
3. **पेयजल व्यवस्था।**
4. **जल संरक्षण** - लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई योजनाएँ/परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण।
5. **पशु सेवाएँ** - चारा उत्पादन, पशुओं का टीकाकरण/गोबर खाद निर्माण/नस्लसुधार कार्यक्रम/कांजी हाउस निर्माण/रख-रखाव।
6. **जैविक खाद का उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा।**
7. **शासकीय शालाओं एवं अन्य भवनों में शौचालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार, रख-रखाव।**
8. **गरीबी उन्मूलन (आय वृद्धि)** - लघु वनोपज अधारित प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, वन औषधि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा (व्यक्तिगत/समुदायिक)।
9. **कौशल उन्नयन** - (अन्य योजनाओं में राशि अनुपलब्धता की स्थिति में)।

10. सौर उपकरणों का कय (व्यक्तिगत/सामुदायिक)।
11. सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का रख-रखाव, जीर्णोद्धार, आवश्यक विकास कार्य।
12. अन्य सभी शासकीय भवनों का रख-रखाव/जीर्णोद्धार/अतिरिक्त कक्ष निर्माण।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र कुमार शुक्ला, उप-सचिव.